



ANX-03
ANX-10

कार्यालय कलेक्टर (भू - अभिलेख शाखा) जिला रायगढ़ (छ.ग.)

क्रमांक 399/भू.अ.लि./2019
प्रति,

रायगढ़ दिनांक 22.06/2019

अपर प्रधान
मुख्य वन संरक्षक
(भू- प्रबंध/व.स.अ.)
अरण्य भवन मेडिकल कालेज रोड
रायपुर (छ.ग.)

विषय :- एनटीपीसी (तलाईपाली) कोल माईनिंग रेल परियोजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 तथा संशोधित नियम 2012 के तहत लीनियर प्रकरण के लिये प्रमाण पत्र प्रदाय करने बाबत।
संदर्भ :- महाप्रबंधक एनटीपीसी (तलाईपाली कोयला खनन परियोजना) घरघोडा जिला रायगढ़ का पत्र क्रमांक टीएलसीएमपी एमटीएस/2016/16 तलाईपाली दिनांक 23.06.2018।

00.

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें। महाप्रबंधक एनटीपीसी कोल माईनिंग परियोजना तलाईपाली तहसील घरघोडा जिला रायगढ़ द्वारा रायगढ़ जिले के रायगढ़ वनमंडल अंतर्गत तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना के एमजीआर रेल्वे लाईन हेतु अनुविभाग रायगढ़ तहसील रायगढ़ के ग्राम सम्बलपुरी, टारपाली, एवं रेगडा में खसरा नंबर 225/1, 9/1, 1, 240, 196, 148, रकबा क्रमशः 0.304, 0.085, 0.551, 0.789, 0.339, 0.684 एवं वन कक्ष क्रमांक 897 रकबा 1.349 हे. योग 4.161 हे. तथा अनुविभाग घरघोडा तहसील तमनार के ग्राम बासनपाली, कांटाझरिया, बरकसपाली, डोलेसरा, कसडोल, व बनाई एवं तहसील घरघोडा के ग्राम रायकेरा में क्रमशः खसरा नंबर 333/1, 9, 2, 250/1, 155/1, 144/1, 750/1 व 661/1 रकबा क्रमशः 0.21, 0.14, 0.06, 0.768, 1.728, 0.2, 0.865, व 1.719 हे. योग रकबा 5.690 हे. अर्थात् कुल प्रभावित रकबा 9.851 हे. गैर खाते की भूमि को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत गैर वानिकीय प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन प्रस्ताव के लिये वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत निर्धारित प्रारूप प्रदर्श स एवं लीनियर प्रकरण हेतु फार्म -1 में जानकारी चाही गई है। उक्त संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़ एवं घरघोडा द्वारा अनुविभाग स्तरीय वन स्तरीय वन अधिकार समिति की अनुशंसा की गई है।

अतः उपरोक्तानुसार अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़ एवं घरघोडा से प्राप्त जानकारी के आधार पर महाप्रबंधक एनटीपीसी (तलाईपाली) कोल माईनिंग परियोजना के एमजीआर रेल्वे लाईन हेतु प्रस्तावित 9.851 हे. भूमि के लिये प्रदर्श स तथा लीनियर प्रकरण हेतु प्रारूप फार्म -1 में जानकारी संलग्न कर सादर सम्प्रेषित है।

कलेक्टर

रायगढ़ (छ.ग.)

रायगढ़ दिनांक 22.06/2019

क्रमांक 399/भू.अ.लि./2019

प्रतिलिपी:-

1. वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल रायगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2. महाप्रबंधक एनटीपीसी को. मा. प्रो. घरघोडा जिला रायगढ़ को सूचनार्थ।

कलेक्टर

रायगढ़ (छ.ग.)



जिला स्तरीय वन अधिकार समिति जिला रायगढ़ (छ.ग.)

// बैठक की कार्यवाही विवरण //

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पेशपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006-07 तथा संशोधित नियम 2012 के तहत तहसील रायगढ़ के ग्राम सम्बलपुरी, टारपाली व रेगडा के राजस्व वन भूमि कुल प्रभावित रकबा 2.812 है. वन कक्ष क्रमांक 897 कुल प्रभावित रकबा 1.349 है. तथा तहसील घरघोडा के बासनपाली, कांटाझरिया, बरकसपाली, डोलेसरा, कसडोल, बनई एवं रायकेरा तहसील घरघोडा के राजस्व वन भूमि कुल खसरा नंबर 08 में से प्रभावित रकबा 5.690 है. राजस्व वन भूमि कुल 9.851 जो छोटे झाड़, बड़े झाड़ व रिजर्व फारेस्ट मद की भूमि में दर्ज है को कोयला खनन परियोजना के तहत रेलवे लाईन कार्य हेतु जिला स्तरीय वन अधिकार समिति जिला रायगढ़ को अनुशंसा हेतु प्राप्त हुआ है जिसके अनुसार प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-

क.	ग्राम का नाम	तहसील	तलाईपाली तह. एनटीपीसी रायगढ़/तमनार/घरघोडा जिला रायगढ़ द्वारा कोयला खनन परियोजना के तहत एमजीआर रेलवे लाईन कार्य हेतु राजस्व भूमि एवं वन भूमि का विवरण			प्रभावित अधिकारधारक का नाम	वन प्रभावित रकबा
			खसरा नंबर	रकबा	मद		
1	सम्बलपुरी	रायगढ़	225/1	0.304	छोटे झाड़	निरंक	निरंक
2	टारपाली		9/1	0.085	बड़े झाड़	निरंक	निरंक
3	रेगडा		1	0.551	छोटे झाड़	निरंक	निरंक
			240	0.789	छोटे झाड़	निरंक	निरंक
			196	0.399	छोटे झाड़	निरंक	निरंक
			148	0.684	छोटे झाड़	निरंक	निरंक
4	वन कक्ष क्रमांक		897	1.349	रिजर्व फारेस्ट	निरंक	निरंक
5	बासनपाली	तमनार	331/1	0.21	छोटे झाड़	निरंक	निरंक
6	कांटाझरिया		9	0.14	छोटे झाड़	निरंक	निरंक
			2	0.06	छोटे झाड़	निरंक	निरंक
7	बरकसपाली		250/1	0.768	छोटे झाड़	निरंक	निरंक
8	डोलेसरा		155/1	1.728	छोटे झाड़	निरंक	निरंक
9	कसडोल		144/1	0.2	छोटे झाड़	निरंक	निरंक
10	बनई		750	0.865	बड़े झाड़	लाल कुमार आ. शनिराम लाल साय आ. शनिराम	0.145 हे. 0.157 हे.
11	रायकेरा	घरघोडा	661/1	1.719	छोटे झाड़	निरंक	निरंक
महायोग			03	15	9.851	02	0.302

प्रस्तावित भूमि पर विचार करने हेतु आज दिनांक 25-02-13 को जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक आयोजित की गई जिसमें परिक्षण उपरांत यह पाया गया की प्रस्तावित भूमि में वन अधिनियम के तहत लाल कुमार आ. शनिराम, लाल साय आ. शनिराम को उपरोक्तानुसार हक पत्र प्रदान किया गया है। एवं सामुदायिक हक पत्र किसी को प्रदाय नहीं किया गया है।

अतः उपरोक्त प्रस्तावित भूमि पर महाप्रबंधक एनटीपीसी तिलाईपाली तहसील रायगढ़/तमनार/घरघोडा में कोयला खनन परियोजना के तहत एमजीआर रेलवे लाईन कार्य हेतु जिला स्तरीय वन अधिकार समिति जिला रायगढ़ द्वारा अनुशंसा कर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.स.अ.) अरण्य भवन मेडिकल कॉलेज रोड रायपुर को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

सदस्य
जिला स्तरीय वन अधिकार समिति
रायगढ़ (छ.ग.)

सदस्य
जिला स्तरीय वन अधिकार समिति
रायगढ़ (छ.ग.)

सदस्य
जिला स्तरीय वन अधिकार समिति
रायगढ़ (छ.ग.)

सदस्य
जिला स्तरीय वन अधिकार समिति
रायगढ़ (छ.ग.)

सदस्य
जिला स्तरीय वन अधिकार समिति
रायगढ़ (छ.ग.)

सदस्य
जिला स्तरीय वन अधिकार समिति
रायगढ़ (छ.ग.)



कार्यालय कलेक्टर (भू - अभिलेख शाखा) जिला रायगढ़ (छ0ग0)

प्रदर्श स

प्रमाण पत्र

मेसर्स एन.टी.पी.सी तलाईपाली घरघोडा को तलाईपाली कोल माईनिंग रेल लाईन परियोजना के एमजीआर रेल्वे लाईन निर्माण कार्य हेतु रायगढ़ जिला मे रायगढ़ वनमंडल के अनुविभाग रायगढ़ तहसील रायगढ़ के ग्राम सम्बलपुरी, टारपाली, एवं रेगडा मे खसरा नंबर 225/1, 9/1, 1. 240, 196, 148, रकबा कमशः 0.304, 0.085, 0.551, 0.789, 0.339, 0.684 एवं वन कक्ष क्रमांक 897 रकबा 1.349 हे. योग 4.161 हे. तथा अनुविभाग घरघोडा तहसील तमनार के ग्राम बासनपाली, कांटाझरिया, बरकसपाली, डोलेसरा, कसडोल, व बनाई एवं तहसील घरघोडा के ग्राम रायकेरा मे कमशःखसरा नंबर 333/1, 9, 2, 250/1, 155/1, 144/1, 750/1 व 661/1 रकबा कमशः 0.21, 0.14, 0.06, 0.768, 1.728, 0.2, 0.865, व 1.719 हे.योग रकबा 5.690 हे. अर्थात् कुल प्रभावित रकबा 9.851 हे वन भूमि के प्रकरण मे अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 का पालन प्रतिवेदन।

1 प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 मे नियत सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की प्रभावित वन भूमि 1.394 हे. एवं 8.502 हे. जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा ग्राम सम्बलपुरी, टारपाली व रेगडा तहसील रायगढ़ तथा बासनपाली, कांटाझरिया, बरकसपाली, डोलेसरा, कसडोल, बनाई तहसील तमनार तथा ग्राम रायकेरा तहसील घरघोडा मे स्थित है, मे तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गई है।

उपरोक्त अधिनियम के तहत प्रस्तावित वन क्षेत्र मे प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारको की जानकारी ग्रामवार निम्नानुसार है :-

अनुभाग रायगढ़

क्रमांक	तहसील	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे.मे.)	रिमार्क
1	रायगढ़	सम्बलपुरी	निरंक	निरंक	
2		टारपाली	निरंक	निरंक	
3		रेगडा	निरंक	निरंक	
4		वन कक्ष क. 897	निरंक	निरंक	

अनुभाग घरघोडा

5	तमनार	बासनपाली	निरंक	निरंक	
6		कांटाझरिया	निरंक	निरंक	
7		बरकसपाली	निरंक	निरंक	
8		डोलेसरा	निरंक	निरंक	
9		कसडोल	निरंक	निरंक	
10		बनाई	लाल कुमार आ. शनिराम	0.145	
			लाल साय आ. शनिराम	0.157	उक्त दोनो हक पत्र धारक को एनटीपीसी तलाईपाली के द्वारा मुआवजा राशि का भुगतान किया

					गया है।
11	घरघोडा	रायकेरा	निरंक	निरंक	
महायोग	10	02	0.302		

- 1- लीनियर प्रकरण होने के कारण ग्राम सभा की आवश्यकता नहीं।
- 2 - यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन के अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी. टी. जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधिन वन भूमि पर निवासरत नहीं है जिनका वन अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (1) (ई) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।
- 3- यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिये प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (2) अन्तर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।
- संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(यशवंत कुमार)

कलेक्टर

एवं

अध्यक्ष- जिला वन अधिकार समिति
जिला रायगढ़ (छ.ग.)

FORM-1
(for linear project)
Government of Chhattisgarh
Office of the District Collector Raigarh

No. 400.....

Date 20/03/2019

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 8.502 Hectares Revenue forest land 1.349 Hectares Total 9.851 Hectares forest land proposed to be diverted in favour of **NTPC Talaipali Coal Mining Project Raigarh for M.G.R.Railway line** in Raigarh district falls within jurisdiction of **Basanpali. Kantajhariya. Barkspali. Dolesra. Kasdol and Banai village (s) in tamnar tehsil. Raikera village (s) in Ghargoda tehsil and Sambalpur. Tarpali and Regra village (s) in Raigarh tehsil**—

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 9.851 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub-Division Level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram sabhas have given their consent to it;
- (c) The proposal does not involve recognised rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above

(Yashwanth Kumar)
District Collector Raigarh

7th AGM (MNO)



कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) रायगढ़ (छ0ग0)

क्रमांक/1742 / भू.अ.लि./2018
प्रति,

रायगढ़ दिनांक 03/10/2018

सचिव,
छ.ग. शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नया रायपुर (छ.ग.)

विषय :- वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना के एमजीआर रेल्वे लाईन के अंतर्गत शासकीय राजस्व वन भूमि 8.502 हे.के गैरवानिकी प्रयोजन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने बाबत।

संदर्भ :- अपर महाप्रबंधक एनटीपीसी तलाईपाली कोयला खनन परियोजना लैलूंगा रोड घरघोड़ा जिला रायगढ़ का आवेदन पत्र क्रमांक टीएलसीएमपी/एमटीएस/2018/15 दिनांक 23/6/2018।

—00—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें। अपर महाप्रबंधक एनटीपीसी तलाईपाली कोयला खनन परियोजना लैलूंगा रोड घरघोड़ा जिला रायगढ़ द्वारा भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन कार्यालय नई दिल्ली से व्यपवर्तन अनुमति प्राप्त करने हेतु एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना के एमजीआर रेल्वे लाईन के अंतर्गत प्रभावित कुल राजस्व वन भूमि 8.502 हे. जो अभिलेख में बड़े झाड़ का जंगल व छोटे झाड़ के जंगल मद में दर्ज है, को गैरवानिकीय प्रयोजन हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र चाही गई है। आवेदित भूमि के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़ एवं घरघोड़ा द्वारा आवेदक कंपनी को अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने की अनुशंसा की गई है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

अनुविभाग रायगढ़						
क.	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	राजस्व वन भूमि		प्रभावित रकबा (हे.में)	भूमि का मद
			खसरा नंबर	कुल रकबा (हे.में)		
1	2	3	4	5	6	7
1	रायगढ़	संबलपुरी	225/1	1.307	0.304	छोटे झाड़ का जंगल
2	रायगढ़	रेगडा	1	12.828	0.551	छोटे झाड़ का जंगल
3	रायगढ़	रेगडा	240	1.534	0.789	छोटे झाड़ का जंगल
4	रायगढ़	रेगडा	196	2.262	0.399	छोटे झाड़ का जंगल
5	रायगढ़	रेगडा	148	1.113	0.684	छोटे झाड़ का जंगल
6	रायगढ़	टारपाली	9/1	0.085	0.085	बड़े झाड़ का जंगल
	योग	03	06	19.129	2.812	
अनुविभाग घरघोड़ा						
1	तमनार	बासनपाली	333/1	2.221	0.210	छोटे झाड़ का जंगल
2	तमनार	कसडोल	144/1	0.862	0.200	छोटे झाड़ का जंगल
3	तमनार	कांटाझरिया	9	5.046	0.140	छोटे झाड़ का जंगल
4	तमनार	कांटाझरिया	2	0.693	0.060	छोटे झाड़ का जंगल

P-1/2

5	तमनार	बनाई	750 / 1	5.504	0.865	बड़े झाड़ का जंगल
6	तमनार	बरकसपाली	250 / 1	7.045	0.768	छोटे झाड़ का जंगल
7	तमनार	डोलेसरा	155 / 1	52.063	1.728	छोटे झाड़ का जंगल
8	घरघोडा	रायकेरा	661 / 1	50.931	1.719	छोटे झाड़ का जंगल
योग		7	8	124.365	5.690	
महायोग		10	14	143.365	8.502	

अतः अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़ एवं घरघोडा के प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नाधीन भू-खण्ड बड़े झाड़ के जंगल/छोटे झाड़ के जंगल मद की भूमि को गैरवानिकीय प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन कर उपयोग में लाने हेतु वरिष्ठ कार्यालय में आवेदन देने हेतु इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।

उपरोक्तानुसार अनापत्ति भेजने का तात्पर्य यह कदापि नहीं माना जायेगा कि उपर्युक्त भूमि आवेदक कंपनी को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया जा चुका है।

कलेक्टर

रायगढ़ (छ.ग.)

रायगढ़ दिनांक 3 / 10 / 2018

पृ.कमांक / 1742 A / भू.अ.लि. / 2018

प्रतिलिपि :-

- 1- वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल रायगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 2- महाप्रबंधक तलाईपाली कोल माईनिंग प्रोजेक्ट लैलूंगा रोड घरघोडा जिला रायगढ़ को सूचनार्थ।

कलेक्टर

रायगढ़ (छ.ग.)



05/10/18: GM (Project)

ASGM (Mining)
S.S. B. Chakraborty

03/10/18